189

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

खिलईया प्रसाद तनय परसदवा अहिरवार
निवासी ग्राम ढडारी तहसील व जिला छतरपुर
.....निगरानीकर्ता

R.2868-III/13

विरूद्व

1. जबरा तनय नगवा अहिरवार
2. इन्द्रजीत तनय भैरव अहिरवार
3. मुरारीलाल तनय भैरव अहिरवार .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17/5/13 जो कि उनके द्वारा प्रकरण क्र 14/अ–21/09–10 में पारित किया गया है से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:–

यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढडारी स्थित भूमि खसरा क्र 982 रकवा 0.963 हे भूमि अनावेदक क्र 2 व 3 के बाबा हरजुवा को वर्ष 1976–77 में पटटे पर प्राप्त हुई थी जिसके उपरांत तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 24/4/84 के द्वारा हरजुवा को भूमि स्वामी घोषित किया गया तथा हरजुवा की मृत्यु उपरांत वर्ष 1994–95 अनावेदक क्र 2 व 3 के पिता भैरव के नाम पर वारसाना नामांतरण किया गया तथा भैरव के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 12/11/09 के द्वारा अनावेदक क्र 2 व 3 के नाम पर वारसाना नामांतरण किया गया जिसके उपरांत अनावेदक क्र 2 व 3 द्वारा उक्त भूमि को निर्धारित प्रतिफल प्राप्त कर निगरानीकर्ता को विक्रय कर दी गयी।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नि-2868/III/13 **जिला** छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-16	1– आवेदक के अधिवक्ता नितेन्द्र सिंघई उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर म0प्र0 के प्र.क्र.14/अ–21/वर्ष 09–10 में पारित आदेश दिनांक 17/5/13 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि ग्राम ढडारी स्थित भूमि खसरा क्र 982 रकवा 0.963 हे का पट्टा हरजुवा को वर्ष 1976–77 मे दिया गया था तथा वर्ष 1984–85 में पंजी क्र 11 के अनुसार भूमिस्वामी घोषित किया गया तथा उनकी मृत्यु उपरांत भैरव का नाम दर्ज किया गया एंव भैरव की मृत्यु उपरांत इन्द्रजीत व मुरारीलाल का नाम दर्ज किया गया जिनके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13–11–09 के माध्यम से भूमि आवेदक को विक्रय की गयी। तथा एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है अपर कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत क्रयशुदा भूमि को शासन के नाम पर दर्ज किए जाने का आदेश दिया है। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165 (7–ख) के अनुसार बिना कलेक्टर की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158 (3) में यह व्यवस्था दी गयी है कि पट्टेदार को 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने पर वह अपनी भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के भी विक्रय कर सकता है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में पट्टा वर्ष 1976–77 दिया गया था एंव वर्ष 1984–85 में भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए गए तथा भूमि का विक्रय वर्ष 2009 में 34 वर्ष पश्चात् किया गया ह। इस कारण से विक्रेता को भूमिस्वामी हक प्राप्त होने से प्रस्तावित कार्यवाही एंव पारित आदेश इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है।	

R 2868. IV/13 (छतपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदक की ओर से तर्क में यह भी कहा गया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व किए गए विक्रय पत्र को शिकायत के आधार पर शून्य घोषित किए जाने की कार्यवाही की गयी है जबकि क्रेता द्वारा अत्याधिक धन व्यय व परिश्रम से भूमि को काबिल काश्त् बनाया गया है इस संबंध में राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि युक्तियुक्त नहीं हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी. 44 में यह मत निर्धारित किया गया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रे.नि.2013 पेज 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता प्रतिपादित किया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर का आदेश निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है। 5— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा शिकायत के आधार पर स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1976—77 में दिया गया था तथा वर्ष 1984—85 मे पंजी क्र 11 के द्वारा भूमिस्वामी अधिकार प्रदत्त किए गए थे तथा भूमि का विक्रय दिनांक 13—11—2009 को किया गया है, जो कि 34 वर्ष उपरांत है। ऐसी स्थिति में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् किए गए अंतरण को अवैध नहीं माना जा सकता है। अतएव प्रस्तुत तर्को के आधार पर अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनंक 17—5—2013 निरस्त किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	